

बिहार सरकार
खेल विभाग

पत्रांक-01/स्था. 17(वेतन)-02/2025.....16.....

पटना, दिनांक-15/1/2026

सेवा में,

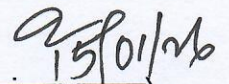
महालेखाकार, बिहार (ले. एवं ह.),
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय :- बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना हेतु संविदा मद से मात्र ₹5,00,00,000/- (पाँच करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

1. इस राशि की स्वीकृति निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के पत्रांक-2060 दिनांक-17.04.2025 के आलोक में दी गयी है।
2. राशि का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-52 के अधीन बजट शीर्ष "2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएँ-104-खेल-कूद-0011-खेल कूद" विपत्र कोड-52-2204-00-104-0011 के अंतर्गत विषय शीर्ष-2802-संविदा सेवाएँ से होगा।
3. इस राशि की निकासी विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खेल विभाग बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के नाम संधारित पी0एल0 खाता PBBPLA035 में अंतरित किया जायेगा।
4. स्वीकृत राशि का लेखा-जोखा अलग रखा जायेगा। भारत सरकार/बिहार सरकार के वित्त अंकेक्षण को स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार होगा। सम्पूर्ण राशि या इसके किसी अंश का दुरुपयोग प्रमाणित होने पर संस्था से वसूलनीय होगी।
5. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन ससमय खेल विभाग, बिहार, पटना को विहित विपत्र में उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
6. यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-3758, दिनांक-31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।
7. स्वीकृति आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(निरंजन कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

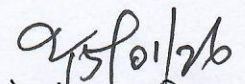
ज्ञापांक-01/स्था. 17(वेतन)-02/2025/.....16.....

पटना, दिनांक-15/1/2026

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महानिदेशक/निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/बजट शाखा/लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/आई0 टी0 मैनेजर, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।